A 6/1

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बूंदी

पीठासीन अधिकारी– अमानुल्लाह खान, आर.ए.एस.

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
74 / अपील / 18	03.07.2018	20.10.2021

श्री बृजराज आ0 बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।

–अपीलान्ट

बनाम

1. श्री गंगाधर आ0 बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
2. श्री रामकंवरी पत्नी स्व0 बद्री जाति मीणा निवासी ग्राम जगदीशपुरा तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
3. श्री समोदरा पुत्री बद्री पत्नी रामस्वरूप जाति मीणा निवासी रमतलाई के पास समीधी तहसील नैंनवा जिला बून्दी।
4. श्री सरमा बाई पुत्री बद्री पत्नी आशाराम जाति मीणा निवासी धरोला तहसील उनियारा जिला टोंक।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नैंनवा जिला बून्दी।

–रेस्पोडेन्ड

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से – श्री महेन्द्र शर्मा एड0
रेस्पो0 संख्या 1 लगायत 4 की ओर से – श्री सुरेन्द्र नाराणीववाल एड0
रेस्पो0 संख्या 5 की ओर से – पेरोकार सरकार

निर्णय

यह अपील तहसीलदार नैंनवा द्वारा तस्दीकशुद्धा नामान्तरकरण संख्या 454 दिनांक 30.06.2017 से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलाधीन नामान्तरकरण से कृषि भूमि खसरा सख्या 129 / 463 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा वाके ग्राम रामपुरिया मृतक खातेदार बद्री के स्थान पर अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 4 का नाम दर्ज किया गया हैं। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

बहस उभयपक्ष समाअत की गई।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किये कि विवादित कृषि भूमि खसरा सख्या 129 / 463 रकबा 1 बीघा 5 बीस्वा वाके ग्राम रामपुरिया में विरिथत हैं। खातेदार बद्री की मृत्यु के उपरांत अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 4 के नाम से विधि विरूद्ध नामान्तरकरण तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ड अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जिन पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम लागू नहीं होता हैं यह

अति0 जिला कलक्टर
बून्दी (राज0)

A 6/2

...से शासित होते हैं जिसके मुताबिक पुत्रों के जीवित रहते हुये पुत्रियों को ...र अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। रेस्पोडेन्ड संख्या 3 व 4 का नाम नामान्तरकरण ...का में दर्ज हो जाने का फायदा उठा कर रेस्पोडेन्ड क्रम संख्या 1 रेस्पोडेन्ड संख्या 3 व 4 से उनके हिस्से में निहित भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर अपीलांट को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने पर आमादा हैं। अपीलांट एक अशिक्षित व्यक्ति हैं, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक किये गये नामान्तरकरण की जानकारी अपीलांट को दिनांक 14.05.2018 को पटवारी हल्का से संपर्क करने पर हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी प्राप्त होते ही जमाबंदी की नकल प्राप्त कर नामान्तरकरण आदेश हेतु तहसीलदार नैंनवा के यहां नकल प्रार्थना पत्र पेश किया। नकल प्राप्त होने पर ज्ञान की तिथि से अपील अंतर्गत अवधि मध्य प्रस्तुत हैं यदि अपील को पेश करने में विलम्ब माना जाता हैं तो अपील के साथ धारा 5 भारतीय मियाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र अपील के साथ पृथक से प्रस्तुत हैं। विलम्ब को क्षम्य किया जावे। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार नैंनवा द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश दिनांक 30.06.2017 खारिज किया जावें। वकील अपीलांट ने अपने कथनों के समर्थन में आरबीजे 2002 पेज 23, आरआरडी 2006 पेज 577, आरबीजे 2006 पेज 796 की नजीरें एवं राजस्थान टीनेंसी एक्ट की धारा 40 के उद्‌रण प्रस्तुत किये।

वकील रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 4 ने बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपील अवधि बाधित प्रस्तुत की गई हैं जिसे मियाद के बिन्दु के आधार पर अवधि बाधित मान कर खारिज किया जाना चाहिए। अवधि के संबंध में अपीलांट द्वारा कोई समुचित तथ्य प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किये गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समुचित प्रक्रिया अपनाकर नामान्तरकरण आदेश पारित किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखा जावें।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। अपील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को निर्णित किया जाना उचित समझते है,जहां अपील में पक्षकारान के सारभूत तथ्य निहित हो वहां अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना चाहिए। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 स्वीकार किया जाकर गुजरी अवधि को मुजरा किया जाता है। हस्तगत प्रकरण में यह तथ्य प्रकट हैं कि अपीलाधीन नामान्तरकरण आदेश दिनांक 30.06.2017 से मृतक बद्री के स्थान पर पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ड संख्या 1 लगायत 4 का नाम अंकित किया गया हैं। अपीलांट का मुख्य तर्क यह हैं कि अपीलांट व रेस्पोडेन्ड अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं जो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम से शासित नहीं होकर पुराने हिन्दू लॉ से शासित होते हैं। पुराने हिन्दू लॉ में पुत्रों के जीवित रहते हुये पुत्रियों को कोई वैधानिक अधिकार संपत्ति पर प्राप्त नहीं होते हैं। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्क से सहमत होते हुये इस संबंध में प्रकरण का पुनः परीक्षण अधीनस्थ न्यायालय से करवाया जाना उचित समझते हैं।

अतएवः परिणामस्वरूप अपील सारवान पाऐ जाने से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 30.06.2017 को निरस्त किया जाता हैं साथ ही प्रकरण को इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह मृतक बद्री के सभी विधिक वारिसान को समुचित सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये संपूर्ण विधिक जांच कर नये सिरे से अपना निर्णय पारित करे।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

न शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की
...य निर्णय प्रति के भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 20.10.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति० जिला कलक्टर
बून्दी (राज०)

(अमानुल्लाह खान)
अति० जिला कलक्टर,
बूंदी